

फार्म १
कृषि ऋण हेतु आवेदन-पत्र
अल्पकाली/मिआदी ऋण

प्रबन्धक,

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

महोदय,

मैं/हम इसके द्वारा निम्न अदेश्यों हेतु रु. _____ (रुपये) के ऋण हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं तथा आवश्यक विवरण नीचे दे रहा हूँ/रहे हैं।

राशि

(रु.)

(i) उत्पादन ऋण (अनुबन्ध 1 देखें)

(ii) मिआदी ऋण उद्देश्य लिखें

(क)

(ख)

(ग)

(अनुबन्ध देखें)

- | | | | | |
|---|------|-----------------|-------|------|
| जनरल सूचना | योग | | | |
| 1. आवेदक(ों) का पूरा नाम | आय | पिता/पति का नाम | | |
| (1) | | | | |
| (2) | | | | |
| 2. पूरा पता | | | | |
| नाम | गांव | डाकघर | तहसील | जिला |
| 3. यदि संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है: | | | | |
| (क) "कर्ता" का नाम | | | | |
| 4. क्या (राज्य की परिभाषा के अनुसार) सदस्य राति/जनजाति/पिछड़ी श्रेणी से सम्बन्धित है? | | | | |
| 5. जाति का विवरण (मालिकी अधिकारों के रिकार्ड की सत्यापित प्रतियां भेजें) | | | | |
| (क) मालिकी अधीन भूमि | | | | |

गांव	सर्वे नं.	अधिकार की किस्म	कुल क्षेत्रफल	इसमें से कितनी सिंचाई अधीन है*	लगान
------	-----------	-----------------	---------------	--------------------------------	------

*सिंचाई के साधनों का वर्णन करें

(ख) पट्टे/किराए कर ली गई भूमि इत्यादि

गांव	सर्वे क.	अधिकार की किरम	कुल क्षेत्रफल	इसमें से कितनी भूमि सिंचाई अधीन है*	पट्टे/किराए का समय	वार्षिक देय लगान	मालिक का नाम व पूरा पता
------	----------	----------------	---------------	-------------------------------------	--------------------	------------------	-------------------------

*सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें

6. ऋणी के रूप में वर्तमान देनदारियों का विवरण

एजेंसी	बकाया रु.	राशि	इसमें से अतिदेय राशि रु.	ऋण लेने का उद्देश्य	क्या जमानत दी गई है	वर्ष के दौरान देय किरत/राशि
--------	-----------	------	--------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------

7. स्वयं के पास कृषि साज-सामान का विवरण

साज सामान

(क) जूताई के काम आने वाले पशु

(ख) दूधारू

(ग) तेल इंजन/पम्पसेट/बिजली की मोटर

(घ) अन्य संयन्त्र

(ड) पावर टिसर

(च) ट्रैक्टर

(छ) माल डोने वाली गाड़ियां

(ज) अन्य (उल्लेख करें)

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सही ठीक है।

मैं/हम एतद् द्वारा बैंक को यह अधिकार देता हूँ/देते हैं कि यह बैंक के पास मेरे/हमारे जो ऋण खाते हैं उनसे सम्बन्धित सभी या कोई व्यवहार अथवा विवरण किसी अन्य वित्तीय संस्था, सरकार अथवा किसी एजेंसी (कम्पनियों) को बंता दें बशर्ते कि ऐसा करना बैंक द्वारा आवश्यक या अनिवार्य समझा जाए।

यदि यह सिद्ध हो जाए कि मेरे/हमारे द्वारा बाहरी ऋण की घोषणा में गुप्त तथ्य दिए गए हैं तो बैंक के लिए यह उचित होगा कि वह मुझे/हमें बैंक सुविधा प्राप्त करने के लिए आयोग्य करार दे।

*मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यह आवेदन पत्र की तिथि तक मैंने/हमने किसी अन्य एजेंसी से ऋण नहीं लिया है।

स्थान :

तिथि :

आवेदक (i) हस्ताक्षर

इस कालम 6 में "कुछ नहीं" रिपोर्ट होने पर भरा जाए।

फार्म II (ii)

नए कूओ की खुदाई हेतु

1. प्रस्तावित नया कूआं कहां लगाया जाएगा ?
(सर्वे क्र०/खसरा नं. लिखें)

2. प्रस्तावित कूप की प्रकार

3. प्रस्तावित कूप का आकार

गहराई

घेरा/सतह क्षेत्र

4. प्रस्तावित कूप की अनुमानित कूल लागत

5. प्रस्तावित कूप में से पानी कैसे निकाला जाएगा।

6. क्षेत्र, जिसे लाभ पहुंचेगा :

7. चालू वर्ष के दौरान आवेदित/स्वीकृत ऋणों का विवरण दें

एजेंसी

राशि (रु.)

8. फसल उगाने का क्रम

वर्तमान (विकास पूर्व)

प्रस्तावित (विकास उपरान्त)

फसल

क्षेत्र

फसल

क्षेत्र

खरीफ

सिंचित

असिंचित

खरीफ

सिंचित

असिंचित

1.

1.

2.

2.

3.

3.

रबी

रबी

1.

1.

2.

2.

3.

3.

9. दी जाने वाली प्रस्तावित जमानत/जामन

स्थान:

आवेदक(ी) के हस्ताक्षर

तिथि:

बैंक अधिकारी रिपोर्ट

मार्जिन तथा सिक्योरिटी आवश्यकताओं हेतु मानदण्ड

(कृषि ऋण हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए)

1 मार्जिन राशि

ऋण की प्रकार	कोई मार्जिन
1. फसल ऋण	
(i) लघु एवं सीमांत किसानों को 5000/-रु. तक के ऋण की मानक स्केल के अनुसार स्वीकृत फसल ऋण हेतु	कोई मार्जिन नहीं
(ii) उन ऋण प्राप्तकर्ताओं तथा फसल ऋणों हेतु जो उक्त मद (i) में शामिल नहीं	15%* से 25%* तक (ऋण के उद्देश्य तथा मात्रा पर निर्भर करता है)
2. मियादी ऋण	
(i) आर्थिक इकाई के लागत मूल्य तक (जहां लागू हो) अथवा 5000/-रु. जो दोनों स्थितियों में कम हो तथा मियादी ऋण जो कुल मिला कर 500/-रु. से अधिक न हो।	
(क) लघु एवं सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों तथा अन्य विशिष्ट श्रेणी के ऋण लेने वालों के लिए जहां विशेष कृषि विकास कार्यक्रम तथा एस.एफ.डी.ए.डी. पी.ए.पी.बी.आर.डी.पी.टी.डी.ए. इत्यादि के अन्तर्गत सबसिडी उपलब्ध है।	कोई मार्जिन नहीं
(ख) मद (क) के अन्तर्गत वर्णित ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए जहां सबसिडी उपलब्ध है।	5%*(ए.आर.डी.सी. की) आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए।
(ii) सभी मियादी ऋणों तथा प्राप्तकर्ताओं के लिए जो मद (i) में शामिल नहीं है।	15%* से 25%* तक (ऋण के उद्देश्य तथा मात्रा पर निर्भर है।)

नोट : उक्त मद i तथा ii दोनों के लिए।

(क) सबसिडी

जहां सबसिडी उपलब्ध है, उसे ही मार्जिन समझ लेना चाहिए तथा किसी अन्य मार्जिन राशि के लिए नहीं कहना चाहिए।

(ख) भारतीय विजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग (ए.सी.डी.) ने कुछ विशेष सरगर्मियों की खरीद-2, पशुओं, मुर्गीखाने के लिए 50/100 लयर्ज सूअर पालन हेतु-3, सूरियों तक (2000/रु.) इत्यादि न्यूनतम आर्थिक इकाईयां (एकानामिक यूनिट) निश्चित की है। यह उदाहरण दी गई है। इन विषय में कोई विशेष सीमा निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन सरगर्मियों में आने वाली लागत नसल की प्रकार तथा जानवरों/पक्षियों की उपलब्धता तथा मौसम/क्षेत्रीय परिवर्तनों के अनुसार भिन्न हो सकती है। बैंक को इन कारणों से कुछ रियायत देनी होगी।

2. सिक्यारिटी मानदण्ड

ऋण की प्रकार	ऋण राशि	दी जाने वाली जमानत
1. फसल ऋण	(i) 1000/-रु. तक	केवल मांग वचन-पत्र/ ऋण इकरारनामा
	(ii) 1001/-रु. से 5000/- तक	फसल का आडमान
	(iii) 5000/रु. से अधिक	(क) फसल का आडमान तथा (ख) भूमि का रहन या तीसरे पक्ष की गारंटी
2. निवेश ऋण	(i) आर्थिक इकाई के लागत	सम्पति का आडमान
	(ii) जहां ऋण सहायता से चल सम्पति खरीदी जानी हो।	मूल्य तक (जहाँ लागू हो) अथवा रु. 5000/- जो भी कम हो
	(ii) यदि ऋण सहायता से चल सम्पति नहीं खरीदी जानी है।	अन्य यथ उन राशियों के लिए जो उक्त मद (i) में वर्णित से अधिक हो
		(क) सम्पति का आडमान तथा (ख) भूमि का रहन अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी भूमि का रहन

*बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार भूमि का रहन।

नोट : ऐसे राज्यों में जहां तलवाड़ कमेटी सिफारिश किए गए सुझावों पर विधान पास किया गया है वहाँ जमानत के लिए पेश की गई भूमि के साधारण चार्ज की घोषणा ही काफी है। ऐसे मामलों में भूमि का रहन करना आवश्यक नहीं होगा।